भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1270
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: आंध्र प्रदेश में पीएमएफबीवाई के लाभार्थी

1270. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की जिला-वार और लिंग-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमएफबीवाई के अंतर्गत भुगतान किए गए, अस्वीकृत किए गए और लंबित बीमा दावों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) दावों को अस्वीकृत किए जाने के प्रमुख आधारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमएफबीवाई के अंतर्गत किए गए बीमा दावों की जिले-वार औसत राशि और वितरित की गई धनराशि की औसत राशि कितनी है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने खरीफ 2020 सीजन से इस योजना को कार्यान्वियन न करने का फैसला लिया था । भारत सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों और नई पहलों के कारण आंध्र प्रदेश सरकार खरीफ 2022 सीजन से इस योजना में पुनः शामिल हो गई है।

पीएमएफबीवाई के प्रावधानों के अनुसार, बीमित किसानों को सूखा, बाढ़ आदि जैसी व्यापक आपदाओं के संबंध में दावा दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह योजना मुख्य रूप से 'क्षेत्रफल दृष्टिकोण' के आधार पर कार्यान्वित की जाती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए गए प्रति इकाई क्षेत्रफल की उपज के आंकड़ों और योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों में बताए गए क्लेम कैल्कुलेशन फ़ॉर्मूला के आधार पर नेशनल क्राप इंश्योरेंश पोर्टल (एनसीआईपी) पर **डिजीक्लेम मॉड्यूल** के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार्य दावों की गणना की जाती है और सीधे बीमित किसान के खाते में भुगतान किया जाता है। इसलिए, इन दावों के अस्वीकृत रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

यद्यपि, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जलप्लावन, बादल फटना, प्राकृतिक आग से हुए नुक्सान को स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान और फसलोपरांत चक्रवात (Cyclone), चक्रवाती/बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के कारण होने वाले नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है। यहां किसानों को, बीमा कंपनी/राज्य सरकार/संबंधित वित्तीय संस्थान/पोर्टल/ऐप को नुकसान के 72 घंटों के भीतर उसकी सूचना देनी होती है। इन दावों का आकलन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों वाली संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है। बीमा कंपनियां, किसानों द्वारा देर से सूचना देने, गैर-बीमित किसानों की सूचना देने, गैर-बीमित फसल की सूचना देने, भू-खंड का गलत विवरण देने आदि जैसे विभिन्न कारणों पर इस सूचना को अस्वीकार कर सकती हैं।

आंध्र प्रदेश में वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत नामांकित किसान आवेदनों की संख्या का जिला-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए जेंडर-वार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान आंध्र प्रदेश में भुगतान किए गए दावों और औसत भुगतान का जिला-वार विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

अनुबंध-I

पीएमएफबीवाई के तहत आंध्र प्रदेश में नामांकित किसान आवेदनों का जिला-वार विवरण

ज़िले का नाम	2022-23	2023-24
अल्लूरी सीताराम राजू	1,51,287	1,76,522
अनकापल्ली	4,72,831	5,01,651
अनंतपुर	3,83,439	5,09,362
अन्नमय्या	1,03,830	1,75,622
बापतला	6,16,182	5,68,621
चित्तूर	1,18,770	1,68,074
डॉ.बी.आर.अंबेडकर कोनासीमा	5,20,061	5,67,238
पूर्वी गोदावरी	4,12,048	4,37,574
एलुरु	4,48,269	4,04,900
गुंटूर	3,17,785	3,76,277
काकीनाडा	5,30,231	5,55,598
कृष्णा	8,21,804	7,55,848
कुरनूल	2,83,292	7,09,143
नांदयाल	5,15,649	4,89,543
एनटीआर	2,89,484	2,38,695
पलनाडु	1,57,014	3,03,707
पार्वतीपुरम मान्यम	4,05,523	4,73,187
प्रकाशम	3,94,893	3,61,562
एसपीएसआर नेल्लोर	3,34,119	3,27,721
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	-	-
श्री सत्य साईं	2,26,582	2,77,444
श्रीकाकुलम	17,71,967	16,92,527
तिरुपति	4,54,276	4,84,332
विशाखापट्टनम	38,464	36,971
विजयनगरम	14,83,140	14,53,005
पश्चिम गोदावरी	6,65,793	6,97,075
वाई.एस.आर.	3,99,455	4,17,284
कुल	**1,23,16,188**	**1,31,59,483**

अनुबंध-II

पीएमएफबीवाई के तहत आंध्र प्रदेश में नामांकित किसान आवेदनों का जेंडर-वार विवरण

वर्ग	2022-23	2023-24
पुरुष	91,49,296	98,35,523
महिला	31,64,175	33,21,756
जेंडर (अन्य)	2,717	2,204
कुल	**1,23,16,188**	**1,31,59,483**

नोट: - यह योजना वर्ष 2016-17 से कार्यान्वित की जा रही है तथा वर्ष 2018-19 से विस्तृत डेटा उपलब्ध है। (जून 2024 तक का डेटा) - वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान आंध्र प्रदेश में यह योजना कार्यान्वित नहीं की गई।

अनुबंध-III

आंध्र प्रदेश में पीएमएफबीवाई के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान औसत दावों का जिला-वार विवरण

ज़िले का नाम	दावों का कुल भुगतान (रुपये में)	लाभान्वित किसान	दावों का औसत भुगतान (रुपये में)
अल्लूरी सीताराम राजू	2,46,71,590	1,551	15,907
अनकापल्ली	34,48,660	497	6,939
अनंतपुर	42,56,84,619	22,669	18,778
अन्नमय्या	-	-	
बापतला	3,88,08,278	3,817	10,167
चित्तूर	-	-	
डॉ.बी.आर.अंबेडकर कोनासीमा	9,75,70,077	14,023	6,958
पूर्वी गोदावरी	5,85,73,901	5,164	11,343
एलुरु	2,86,763	151	1,899
गुंटूर	-	-	
काकीनाडा	11,86,55,295	15,656	7,579
कृष्णा	54,43,592	225	24,194
कुरनूल	66,00,51,085	44,784	14,739
नांदयाल	32,61,32,870	29,514	11,050
एनटीआर	3,83,84,066	17,614	2,179
पलनाडु	4,24,44,560	9,956	4,263
पार्वतीपुरम मान्यम	1,34,43,948	2,774	4,846
प्रकाशम	1,70,04,43,715	53,687	31,673
एसपीएसआर नेल्लोर	79,73,646	159	50,149
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	-	-	-
श्री सत्य साईं	67,71,89,217	68,470	9,890
श्रीकाकुलम	31,22,843	1,088	2,870
तिरुपति	20,36,509	491	4,148
विशाखापट्टनम	-	-	-
विजयनगरम	48,79,668	318	15,345
पश्चिम गोदावरी	1,30,66,493	2,099	6,225
वाई.एस.आर.	1,37,13,37,740	54,926	24,967
कुल	**5,63,36,49,134**	**3,49,633**	**16,113**

*राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में यह योजना कार्यान्वित नहीं की गई।

*****